

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक: 162/जयपुर/1994-95.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री. ज्योतिबा फुले विद्यापीठ
सभित, चौमू, जिला जयपुर का
राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और फार्यूलचय की सील से प्राप्त
दिनांक तीसरे माह बुलंद सं. एक हजार नौ सौ अठारह
को जयपुर में दिया गया।

भासा सुभाष शर्मा
रजिस्ट्रार संस्थान

श. सं. १० मु. सि., जयपुर-१

सचिव

महाराजा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ सभित
चौमू (जयपुर)